शाजित कुरेशी विरूद्ध सईद खां

X XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2617-दो / 14

जिला – सीहोर

| थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदे श | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 4.8.14 | प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के समय उपस्थित रहने हेतु जारी सूचनापत्र के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । प्रकरण में अभी कार्यवाही होना है और आवेदक को अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में यह पुनरीक्षण अपरिपक्व होने से ग्राह्य योग्य नहीं है । परिणामतः अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।<br><br>(एम.के. सिंह)<br>सदस्य,<br>राजस्व मंडल, म.प्र.,ग्वालियर | |

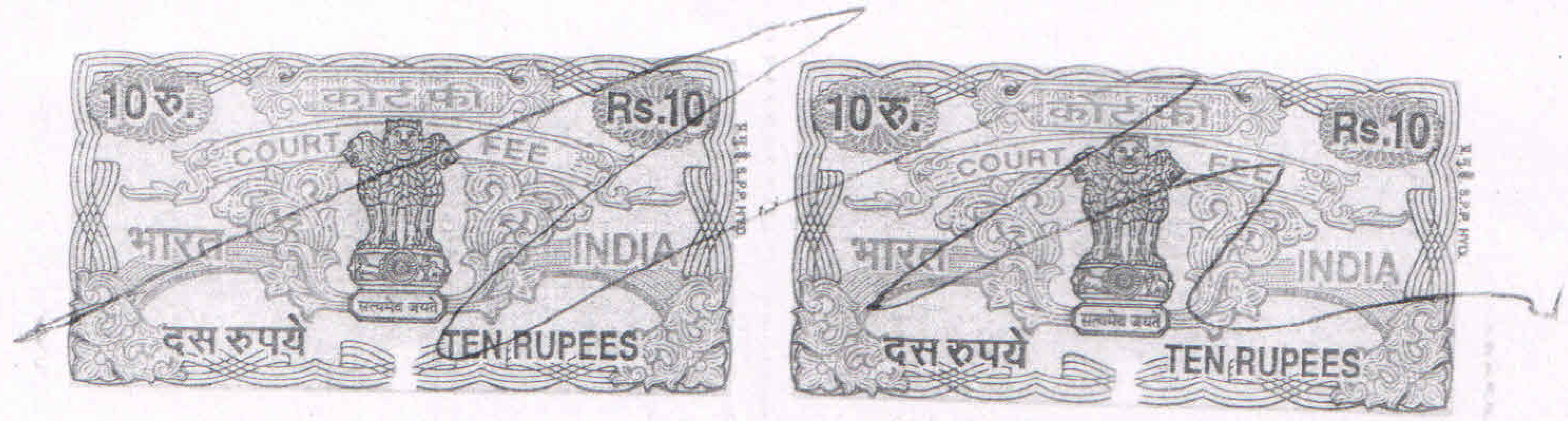


न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2014

*साजिद कुरैशी आ. श्री सादिक कुरैशी*
*निवासी जामा मस्जिद सराय, सीहोर*
*तहसील व जिला सीहोर म0प्र0* ..........निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. सईद खॉ आ. श्री नूर खॉ आयु वयस्क,
निवासी पुराना बस स्टेण्ड, गंज, सीहोर
तहसील व जिला सीहोर म0प्र0

02. म0प्र0 शासन ..........रेस्पाण्डेंटगण